



Neutral Citation No. - 2026:AHC:174793

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 29305 वर्ष 2026

अवधेश @ बाबा

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

: संजय कुमार

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज न्यायालय में अनुपूरक शपथपत्र दाखिल किया गया है। उसे अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. वर्तमान आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 174 वर्ष 2026, धारा 303(2), 317(2), 317(4) बी.एन.एस., थाना-नारखी, जिला-फिरोजाबाद में संबंधित न्यायालय में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा किसी दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण वर्तमान मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। वर्तमान प्रथम सूचना

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



रिपोर्ट सूचनादाता की मोटरसाइकिल की चोरी के संबंध में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज की गई है। वर्तमान मामले में विवेचना के दौरान आवेदक का नाम प्रकाश में आया। आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से कोई संबंध नहीं है तथा उसने अभियोजन द्वारा आरोपित कोई अपराध नहीं किया है। आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक एवं सह-आरोपी के कब्जे से छह मोटरसाइकिलों आदि की झूठी बरामदगी दर्शाई गई है। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आवेदक के विरुद्ध नौ अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसे शपथपत्र के पैरा संख्या 6 में स्पष्ट किया गया है। आगे प्रस्तुत किया गया है कि सह-आरोपी राजेश @ लल्लू को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 27097 वर्ष 2026 में पारित दिनांक 12.08.2026 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक का मामला सह-आरोपी के समान है और वह भी समानता के आधार पर जमानत का अधिकारी है। आवेदक दिनांक 18.05.2026 से जेल में निरुद्ध है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक यह शपथ लेता है कि यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में मामलों की भारी संख्या में लंबितता को देखते हुए विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

5. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियों, मामले के तथ्यों, आरोपों की प्रकृति एवं अभिरक्षा की अवधि, अपराध की गंभीरता पर विचार करते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का मत है कि यह जमानत प्रदान किए जाने के लिए उपयुक्त मामला है। अतः जमानत आवेदन एतद्वारा **स्वीकार** किया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. आवेदक-अवधेश @ बाबा, जो उपर्युक्त मामले में सम्मिलित है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक, जब तक व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो, नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
- (iv) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा, जो उस अपराध के समान हो, जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है अथवा जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।
- (v) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

8. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अधीनस्थ न्यायालय को जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

19 अगस्त, 2026

एस.के.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”